प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02093/2019-2020

दिनांक 25/01/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/MAT/04171/2019-2020 पत्रावली संख्या:AG-50561 दिनांक:2009-2010

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **असहाय जन सेवा संस्थान, चार सम्प्रदाय नगर, गौरा नगर कॉलोनी, वृन्दावन, मथुरा, मथुरा, 281001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1576/2009-10 दिनांक-10/12/2009 को दिनांक-10/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 25/01/2020 11:29:40 AM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-25/01/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AA 834784

यह जनरल स्टाम्प पेपर असहाय जन सेवा संस्थान चार सम्प्रदाय मार्ग गौराङ्ग कॉलोनी, वृन्दावन
जिला मथुरा फाइल नं० A-50561
स्मृतिपत्र के साथ सलग्न है।

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटीज
आगरा क्षेत्र, आगरा

26/12/21

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AA 834785

यह जनरल स्टाम्प पेपर असहाय जन सेवा संस्थान चार सम्प्रदाय नागर औरानगर कॉलोनी वृन्दावन जिला मथुरा फाइल नं० Ag-50561 नियमावली के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा क्षेत्र, आगरा 26/12/14

आगरा क्षेत्र, आगरा
26/12/14

स्मृति—पत्र

संस्था का नाम : **असहाय जन सेवा संस्थान**

पता : चार संप्रदाय नगर, गौरानगर कालोनी

वृन्दावन, मथुरा, उ०प्र० 281121

संस्था के उददेश्य निम्नलिखित है

1. समाज में असहाय लोगों एवं वृद्धजनों के कल्याण हेतु आश्रय स्थल, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम आदि की व्यवस्था करना/कराना।
2. समाज में असहाय लोगों के भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना/कराना।
3. समाज में असहायों के इलाज के लिए/चिकित्सा, औषधि आदि की व्यवस्था करना/कराना।
4. समाज में सरकार द्वारा गरीब, विधवाओं एवं वृद्धों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत करना तथा उपलब्ध करना/कराना।
5. समाज में असहायों पर हो रहें अत्याचार को रोकना/रुकवाना।
6. समाज से खोती जा रही भारतीय एवं बृज संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु कार्यक्रम करना/कराना।
7. समाज में असहायों के लिए आश्रम, विद्यालय, स्कूल, कालेज आदि की व्यवस्था करना/कराना।
8. समाज में असहायों के लिए शिक्षा से सम्बन्धित/पुस्तक आदि उपलब्ध करना/कराना।
9. समाज में गौ के दूध, मूत्र आदि (पंचगव्य) के लाभ बताकर जनता को गौ के बारे में जनजाग्रत करना तथा वृद्ध एवं भूखी गायों के रहने खाने की व्यवस्थता करना/कराना।
10. सरकार द्वारा समाज कल्याण से सम्बन्धित मान्यता वाली संस्थाओं का सहयोग करना तथा एकजुट होकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना/कराना।
11. पर्यायवरण के प्रति जनता को जनजाग्रत करना तथा वृक्षों का संरक्षण करना/कराना।
12. सूखे पड़े तालाबों, पोखरों को पानी से भरना तथा गावं के पशु पक्षीयों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करना/कराना।
13. समाज में साधु—संतों की भजन—भोजन, वस्त्र एवं देवस्थान आदि की व्यवस्था करना/कराना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

26/11/21

14. समाज में गरीब परिवार की कन्याओं की शादी में सहयोग करना/कराना।

15. समाज में खारे पानी की समस्या से जूझ रही जनता को पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था में सरकार का सहयोग करना/कराना।

16. समाज में मृतक पशु पक्षियों से दूषित हो रहे वायुमंडल के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था में सहयोग करना/कराना।

17. सामाजिक सुविधाऐं जैसे/बारात–घर, डाक–घर, बैक, मंदिर/मस्जिद/चर्च, शमसान घाट आदि के संरक्षण अथवा नवनिर्माण में सहयोग प्रदान करना/कराना।

18. समाज में एकता का वातावरण बनाना तथा असहाय जन सेवा संस्थान के उद्देश्यों से अवगत कराना।

19. प्राकृतिक ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा व्यवस्था करना/कराना।

20. समाज में असहायों के लिये सामजिक जन चेतना जाग्रत कराने हेतु एवं पोस्टर, विज्ञापन, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, हैपेटाइटस, डेगू एवं स्वाइनफ्लू जैसे रोगों से बचने के उपायें सुझाना एवं इन रोगो पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना।

21. समाज में असहाय लोगों के कल्याण हेतु आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करना तथा सुलभ ग्रामोद्योगी एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके आश्रय स्थल की स्थापना करने में सहयोग करना/कराना।

22. समाज में असहाय पर हो रहे अत्याचार रूपी आतंक को समाज से खत्म हरने हेतु सरकार की नीतियों में सहयोग करना तथा प्रशासन को ऐसे लोगों के बारे में अवगत करना/कराना।

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

नियमावली

संस्था का नाम : **असहाय जन सेवा संस्थान**

पता : चार संप्रदाय नगर, गौरानगर कालोनी

वृन्दावन, मथुरा, उ०प्र० 281121

संस्था के उद्देश्य : संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार।

1 संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

1. संरक्षक सदस्य :

जो सज्जन इस संस्था को 2000/– रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा।

2. आजीवन सदस्य :

जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 1000/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

3. साधारण सदस्य :

जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 200/– रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।

4. विशिष्ट सदस्य :

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगें। सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

2. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन	:	प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक प्रबन्धक, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।
बैठक	:	प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।
सूचना अवधि	:	प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।
गणपूर्ति	:	गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।
रिक्त स्थान की पूर्ति	:	प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिऐ कर ली जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु, पागल या दिवालिया होने पर।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर।

2. संस्था के अंग :

1. साधारण सभा :

गठन	:	साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।
बैठक	:	साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
सूचना अवधि	:	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।
विशेष वार्षिक अधिवेशन	:	संस्था का विशेष अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर दी जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय-समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा एव बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

3. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

1. प्रबन्धक : संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों एवं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के कार्यो का लेखा–जोखा देखरेख करते रहना तथा सहयोग करना।

2. अध्यक्ष : संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठक बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

3. उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

4. महासचिव :

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, बैठकें बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना तथा बैठकों की कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।
3. संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राफ्टों बंधक विलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना तथा संस्था के सभी कार्यो के बारे मे पत्र द्वारा प्रबन्धक और अध्यक्ष को अवगत कराना।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना।

5. सचिव : संस्था के महासचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा सोंपे गये कार्यो को करना एवं उपस्थित में कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

6. कोषाध्यक्ष : संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना। महासचिव/सचिव द्वारा सोंपे गये कार्यों को करना।

4. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

5. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकत बैंक, मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम जमा किया जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक या अध्यक्ष, महासचिव या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यवित/व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
26/12/2020

6. **संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) :**

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा।

7. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व :**

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही महासचिव/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

8. **संस्था के अभिलेख :**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. स्टॉक रजिस्टर
5. कैश बुक आदि।

9. **संस्था के विघटन :**

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0 रजि0 अधि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक : 01/12/09

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
26/12/...

ASHAY JAN SEVA SANSTHAN

Unique Id of VO/NGO	UP/2017/0176901

Registration Details

Registered With	Registrar of Societies
Type of NGO	Society
Registration No	[illegible]
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	SOCIETIES REGISTRATION ACT 1860
City of Registration	VRINDAVAN
State of Registration	UTTAR PRADESH
Date of Registration	10-12-2009

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
HARI KISHAN SARSWAT	Manager	Available	Available
KAILASH CHAND	President	Available	Available
NARENDRA SINGH	Cashier	Available	Available
VIDYARAM TRIPATHI	Vice Chairman	Available	Available
PRAVIN KUMAR SHARMA	Member	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Children,Health & Family Welfare
Operational Area-States	UTTAR PRADESH
Operational Area-District	Mathura

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.
Not Available	Not Available

Details of Achievements

WE HAVE PROVIDED FINANCIAL AND NON FINANCIAL HELP TO NEEDY PERSONS

Source of Funds

Department Name	Source	Finacial Year	Amount Sanctioned	Purpose
Not Specified	Any Other	2013-2014	Not Specified	FOOD PROVISION FOR POORS, CLOTH DISTRIBUTION TO POORS

Not Specified	Any Other	2014-2015	Not Specified	BLANKET DISTRIBUTION TO NEEDY PERSONS DURING WINTER SEASON
Not Specified	Any Other	2015-2016	Not Specified	FOOD DISTRIBUTION TO CHILDREN AND POOR PERSONS
Not Specified	Any Other	2016-2017	Not Specified	CLOTH DISTRIBUTION AND FOOD DISTRIBUTION TO POORS AND CHILDREN

Contact Details

Address	4, SAMPRADAY NAGAR, GAURA COLONY, MATHURA
City	VRINDAVAN
State	UTTAR PRADESH
Telephone	Not Available
Mobile No	7906444853
Website Url	Not Available
E-mail	BCAPL16(at)GMAIL[dot]COM

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for approval

1	PAN	AABAA4524H
2	Name	ASHAY JAN SEVA SANSTHAN
2a	Address	
	Flat/Door/Building	.
	Name of premises/Building/Village	CHAR SAMPRADAY NAGAR
	Road/Street/Post Office	GAURA NAGAR COLONY
	Area/Locality	VRINDABAN
	Town/City/District	
	State	
	Country	
	Pin Code/Zip Code	0
3	Document Identification Number	AABAA4524HF2021601
4	Application Number	382458780280821
5	Unique Registration Number	AABAA4524HF20216
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which approval is being granted	11-Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of approval	24-09-2021
8	Assessment year or years for which the trust or institution is approved	From AY 2022-23 to AY 2026-27
9	Order for approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10 .	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which approval is being granted	
	The approval is granted subject to the following conditions:-	

INCOME TAX DEPARTMENT

	a. No change in the deed of the applicant trust/society/non profit company or any of its bye-laws shall be affected without the due procedure of law and the approval of the Competent Authority as per provisions of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax and to the Assessing Officer.	
	b. Any change in the trustees or address of the applicant trust/society/non-profit company shall be intimated forthwith to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax and to the Assessing Officer.	
	c. The applicant trust/society/non profit company shall maintain its accounts regularly and also get them audited as per the provisions of section 80G(5)(iv) read with section 12A(1)(b)/10(23C) of the Income Tax Act,1961.	
	d. Certificate of donation shall be issued to the donor in form no 10BE, as per the provisions of rule 18AB.	
	e. No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.	
	f. The trust/society/non profit company shall file the return of income of its trust/society/non profit company as per the provisions of section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.	
	g. The approval granted through this order shall apply to the donations received only if the applicant trust/society/non profit company, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions laid down in section 80G(5) of the Income Tax Act, 1961 and the religious expenditure does not exceed the limit specified in section 80G(5B) of the said Act.	
	h. If the applicant trust/ society/ non-profit company derives any income, being profits and gains of business, it shall maintain separate books of account in respect of such business as provided in section 80G(5)(i) of the Income Tax Act,1961. Further, any donation received by the applicant shall not be used, directly or indirectly, for the purposes of such business and a certificate shall be issued to every person making a donation to the effect that the applicant maintains separate books of account in respect of the business and the donation received by it will not be used, directly or indirectly, for the purpose of the business.	
	i. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.	
	j. The approval and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for approval has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 11AA or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4) of the said rule, the approval and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the approval and URN shall be deemed to have never been issued or granted.	
	Name and Designation of the Approving Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

Certification signature by SIBICHEN K MATHEW <k.sibichen.mathew@incometax.gov.in>, Validity Unknown

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 2021.09.24
03:14:15 IST

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for registration

1	PAN	AABAA4524H
2	Name	ASHAY JAN SEVA SANSTHAN
2a	Address	
	Flat/Door/Building	.
	Name of premises/Building/Village	CHAR SAMPRADAY NAGAR
	Road/Street/Post Office	GAURA NAGAR COLONY
	Area/Locality	VRINDABAN
	Town/City/District	
	State	
	Country	
	Pin Code/Zip Code	0
3	Document Identification Number	AABAA4524HE2021801
4	Application Number	382435260280821
5	Unique Registration Number	AABAA4524HE20218
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration is being granted	01-Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A
7	Date of registration	24-09-2021
8	Assessment year or years for which the trust or institution is registered	From AY 2022-23 to AY 2026-27
9	Order for registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which registration is being granted	
	The registration is granted subject to the following conditions:-	
	a. As and when there is a move to amend or alter the objects/rules and regulations of the applicant, prior approval of the Commissioner of Income Tax shall be sought along with the draft of the amended deed and no such amendment shall be effected until and unless the approval is accorded.	

	b. In the event of dissolution, surplus and assets shall be given to an organization, which has similar objects and no part of the same will go directly or indirectly to anybody specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.
	c. In case the trust/institution is converted into any form, merged into any other entity or dissolved in any previous year in terms of provisions of section 115TD, the applicant shall be liable to pay tax and interest in respect of accreted income within specified time as per provisions of section 115TD to 115TF of the Income Tax Act, 1961 unless the application for fresh registration under section 12AB for the said previous year is granted by the Commissioner.
	d. The Trust/ Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.
	e. The registration u/s 12AB of the Income Tax Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.
	f. Order u/s 12AB read with section 12A does not confer any right of exemption upon the applicant u/s 11 and 12 of Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provisions of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.
	g. No change in terms of Trust Deed/ Memorandum of Association shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.
	h. The Trust/ Society/ Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these accounts audited in accordance with the provisions of the section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Seperate accounts in respect of each activity as specified in Trust Deed/ Memorandum of Association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intented beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organisation.
	i. The Trust/ Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the Income Tax Act, 1961.
	j. Seperate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of Income Tax Act, 1961.
	k. The registered office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the jurisdiction of Jurisdictional Commissioner of Income Tax except with the prior approval.
	l. No asset shall be transferred without the knowledge of Jurisdictional Commissioner of Income Tax to anyone, including to any Trust/ Society/ Non Profit Company etc.
	m. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/ Institution/ Non Profit Company are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/ Institution/ Non Profit Company.
	n. If it is found later on that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per the provision u/s section 12AB(4) of the Act.
	o. This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/ Institution.

	p. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account whose number shall be communicated to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax.	
	q. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.	
	r. The registration and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for registration has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 17A or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4) of the said rule, the registration and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the registration and URN shall be deemed to have never been granted or issued.	
	Name and Designation of the Registration Granting Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

Certification signature by SIBICHEN K MATHEW <k.sibichen.mathew@incometax.gov.in>, Validity Unknown

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 2021.09.24
03:14:27 IST